चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रबन्ध मण्डल की 154वीं बैठक

का कार्यवृत्त

दिनाँक : 25.09.2018

दिन : मंगलवार

समय : अपरान्ह 12:00 बजे

स्थान : कुलपति महोदय का सभाकक्ष

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
प्रबन्ध मण्डल की 154वीं बैठक दिनांक 25.9.2018 का कार्यवृत्त।

दिनॉक : 25.09.2018

सभास्थल : कुलपति समिति कक्ष।

समय : अपरान्ह 12:00 बजे

उपस्थिति :–

1.	**डा0 सुशील सोलोमन,** कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल	अध्यक्ष
2.	**श्री धीरेन्द्र सिंह,** उप कृषि निदेशक, कानपुर	सदस्य / प्रतिनिधि **प्रमुख सचिव कृषि**
3.	**श्री धीरेन्द्र सिंह,** उप कृषि निदेशक, कानपुर	सदस्य / प्रतिनिधि **निदेशक कृषि**
4.	**डा0 एस0एन0 सिंह,** सी0वी0ओ0, कानपुर नगर।	सदस्य / प्रतिनिधि **निदेशक पशुपालन**
5.	**श्री करण सिंह** पटेल, 20–एम0आई0जी0, आवास विकास कालोनी, फतेहपुर	सदस्य
6.	**डा0 असीम यादव,** 302, मो0–गढ़ैया, जनपद–शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
7.	**श्री वीर सेन यादव,** 750 W-2, दामोदर नगर, कानपुर–208027	सदस्य
8.	**श्री शिव प्रताप सिंह,** पूर्व ब्लाक प्रमुख ताखा नि0 ग्राम पाहकलॉ, ब्लाक / तहसील ताखा, जनपद इटावा।	सदस्य
9.	**श्री जगदीश सिंह यादव,** 730, शान्ती नगर, स्टेशन रोड, शिकोहाबाद, जिला–फिरोजाबाद	सदस्य
10.	**श्रीमती रचना सिंह,** भरथना रोड, विधूना, जिला–औरेया।	सदस्या
11.	**डा0 एन0पी0 सिंह,** निदेशक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कल्यानपुर, कानपुर –208024	सदस्य
12.	**श्री मनमोहन मिश्रा,** अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव प्रबन्ध मण्डल	सचिव

सर्वप्रथम कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल द्वारा मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव, प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर मा0 सदस्यों द्वारा मदवार चर्चा की गयी। प्रस्तुत प्रस्तावों पर मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्राप्त निर्णयों का मदवार विवरण निम्नवत् है:-

मद सं0	प्रस्ताव	निर्णय
1	प्रबन्ध मण्डल की दिनॉक 25.4.2018 को सम्पन्न हुई 153वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।	मा0 प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा 153वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन प्रदान किया।
2	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की दिनॉक 25.4.2018 को सम्पन्न हुई 153वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।	मा0 प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा 153वीं बैठक की कार्यवाही का संज्ञान लिया गया। निम्न निर्देश दिये गये:- 1- प्रबन्ध मण्डल की 153वीं बैठक में नया वाहन खरीदने हेतु अनुमोदन सर्वसम्मति से प्रदान कर दिया गया था। अनुमोदन के उपरान्त किसी अधिकारी द्वारा आपत्ति व्यक्त कराना मा0 प्रबन्ध मण्डल के आदेशों की अवहेलना है। पूर्व के अनुमोदन के कम में 15 दिन में वाहन कय किया जाय। 2- विश्वविद्यालय में लिपिक/लेखा/आशुलिपिक संवर्ग में प्रौन्नतियॉ की गई हैं जो पुनर्गठन शासनादेश का पूर्ण अनुपालन न होने के फलस्वरूप निरस्त की गई हैं। इस सम्बन्ध में विभिन्न स्रोत्रो से प्राप्त प्रत्यावेदन और तथ्यो का संज्ञान लेते हुए प्रबन्ध मण्डल के कई सदस्यों ने पुर्न विचार हेतु पत्र भी लिखा है। सम्यक विचरोपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अर्थ नियंत्रक की अध्यक्षता में गठित समिति पुर्नगठन हेतु जारी शासनादेशो के कम में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तब तक उक्त प्रकरण में यथा स्थिति रखी जाय। प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि पुर्नगठन के सम्बन्ध में जारी शासनादेश दिनांक 20 जून 2017 तथा 5 जुलाई 2017 तथा 28.3.2017 के प्रावधानों के अनुसार संवर्ग गठन की कार्यवाही शीघ्र की जाय। 3- विश्वविद्यालय के वाहनों को पूल करने पर विचार किया जाय। टैक्सी इत्यादि पर होने वाले व्यय को कम करने का प्रयास हो। विश्वविद्यालय के वाहनो का व्यक्तिगत हित में उपयोग तत्काल बन्द किया जाय। परिवहन विभाग के समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप समस्त कार्यवाही सुनिश्चित हो।

3

3	दिनांक 28.09.2018 को आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह में स्वर्ण, रजत, कॉस्य पदक एवं पुस्तक पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की सूची के अनुमोदन पर विचार।	मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
4	एम0एस–सी0 (उद्यान) में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्र/छात्राओं को क्रमशः स्वर्ण, रजत एवं कॉस्य पदक प्रदान करने पर विचार।	मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
5	बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा परिसर की गाटा संख्या 355 से 700 वर्ग गज भूमि के स्थान पर 1972 वर्गमी0 क्षेत्रफल की भूमि ई0सी0एच0एस0 पालीक्लीनिक (पूर्व सेनानी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) इटावा को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विचार।	मा0 प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भूमि हस्तान्तरण से पूर्व उससे संबंधित समस्त अभिलेख आगामी बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाय। उक्त कार्य हेतु मा0 प्रबन्ध मण्डल के सदस्य श्री करण सिंह पटेल सदस्य प्रबन्ध मण्डल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाय जिसमें श्री वीरसेन यादव सदस्य प्रबन्ध मण्डल, अधिष्ठाता कृषि अभियांत्रिकी इटावा, सम्पत्ति अधिकारी विश्वविद्यालय सदस्य होगे। समिति स्थालीय निरीक्षण कर राजस्व अभिलेखों के आधार पर समस्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि विश्वविद्यालय स्तर पर क्या कार्यवाही उचित होगी। रिपोर्ट आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।
6	"Strengthening of 06 Krishi Vigyan Kendra of CSAUT, Kanpur" परियोजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यदायी संस्था को मेजरमेंट के हिसाब से भुगतान किया जाय। यह निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/प्रभारी योजना शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित करेगें। गाइड लाइन के अनुसार ही सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/योजना प्रभारी समस्त कार्यवाही करेगें।
7	कृषि विज्ञान केन्द्रों पर उत्पादित होने वाले बीजों का विद्यायन, पैकिंग एवं बिक्री केन्द्र अध्यक्ष/प्रभारी द्वारा स्वयं करने के साथ–साथ बिक्री से प्राप्त धनराशि के0वी0के0 खाते में जमा कराने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। विश्वविद्यालय स्थित प्रक्षेत्रों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों के अधीन प्रक्षेत्रों की बेलेंसीट तैयार की जाय। निदेशक प्रसार और निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र अपने अधीनस्त समस्त कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा प्रक्षेत्रों की बैलेंशशीट और कैशबुक अध्यावधिक पूर्ण कराकर अवगत कराये। कृषि विज्ञान केन्द्र पर जिन वैज्ञानिकों/कर्मचारियों को स्थानान्तरण किया गया है जिन्होने कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, उन्हे तत्काल के0वी0के0 पर कार्यभार ग्रहण कराया जाय। जिससे केन्द्र का कार्य प्रभावित न हो।

8	डा0 मुकेश श्रीवास्तव, प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग का रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में कुलसचिव के पद पर चयन हो जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा उनके मूल पद पर सुरक्षित रखे गए दो वर्ष के धारणाधिकार (Lien) की अवधि 01 वर्ष बढ़ाए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा नियमानुसार 1 वर्ष की अवधि के लिये धारणाधिकार सुरक्षित रखने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह सुविधा अन्तिम बार प्रदान की जा रही है।
9	प्रबन्ध मण्डल की 153वीं बैठक के मद संख्य– 28 पूरक–2 पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में नियोजित वादों की समीक्षा आख्या।	मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
10	विश्वविद्यालय में संचालित महाविद्यालयों यथा–गृह विज्ञान संकाय, कानपुर, कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा एवं कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) लखीमपुर–खीरी हेतु शासनादेश संख्या–28/2018 /257/ 67–कृशिअ–18–400(3)/17 दिनांक 10.07. 2018 द्वारा सृजित शैक्षणिक पदों को भरे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि मा0 उच्च न्यायालय मे लम्बित नियुक्ति सम्बन्धी वादो में जब तक निर्णय नही आता तब तक प्रस्ताव पर यथास्थित बनाये रखी जाय।
11	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0, शासन, लखनऊ द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम परियोजना "सब्जी पर अनुसंधान के लिए सेन्टर आफ एक्सीलेंस की स्थापना" हेतु विश्वविद्यालय में कियान्वयन के सम्बंध में प्रस्ताव।	मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
12	कृशि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0, शासन लखनऊ द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम परियोजना "गेहूँ पर अनुसंधान के लिए सेन्टर आफ एक्सीलेंस की स्थापना" हेतु विश्वविद्यालय में कियान्वयन के सम्बंध में प्रस्ताव।	मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

13	प्रबन्ध मण्डल की 153वीं बैठक दिनॉक 25.04.2018 के मद संख्या–28 (पूरक 5) के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक/समकक्षीय को वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान एवं वेतन बैण्ड रु0 15600–39100 ए0जी0पी0 रु0 6000 से 7000 एवं 7000 से 8000 अनुमन्य कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय पर पुर्नविचार हेतु प्रस्ताव।	सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर से जारी कार्यालय आदेश दिनांक 9.8.2018 को इस शर्त के साथ पुर्नस्थापित किया जाता है कि इस पर होने वाले समस्त व्ययभार का वहन आई0सी0ए0आर0 द्वारा किया जायेगा। यदि आई0सी0ए0आर0/अटारी इस मद मे होने वाले सम्पूर्ण व्ययों के वहन करने हेतु समुचित बजट उपलब्ध नहीं कराते है तो विश्वविद्यालय स्तर से इस मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।
14	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।	
पूरक 1	विश्वविद्यालय के अधीन संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम, गेस्ट फैक्ल्टी, संविदा कार्मिकों, तदर्थ परियोजनाओं इत्यादि के अन्तर्गत वाक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से योजित किये जाने वाले कार्मिकों से ली जाने वाली प्रासेस फी में बढ़ोत्तरी किये जाने के संबंधी प्रस्ताव।	मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

बैठक के दौरान मा0 सदस्यों द्वारा यह तथ्य उठाया गया कि राजकीय निर्माण निगम द्वारा कौन–2 से कार्य कराये जा रहे है। उक्त के अतिरिक्त अन्य एजेन्सियों द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कौन से निर्माण कार्य किये जा रहे है। जो अधूरे कार्य है वह कब से लम्बित है। क्यों पूर्ण नहीं हो रहे है। मा0 सदस्य गणों द्वारा के0वी0के0 इटावा में स्टाफ न होने, के0वी0के0 फिरोजाबाद फार्म हाउस की हकबन्दी कराने, के0वी0के0 दिलीपनगर पर पेडों की कटाई, फार्मो की सम्पत्तियों का मूल्यांकन और सम्पत्ति रजिस्टर तैयार न होने तथा फिरोजाबाद के0वी0के0 के सोडिक लैण्ड के सुधार का मामला भी उठाया गया। संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा यह भी प्रस्ताव रखा गया कि संचालक मण्डल के सदस्यों को विश्वविद्यालय तथा के0वी0के0 के सभी फार्मो के निरीक्षण करने हेतु अधिकृत किया जाय। इस सम्बन्ध में समस्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये:–

1. सक्षम स्तर से अनुमोदित डिजाइन में यदि कोई परिर्वतन करते हुए किसी भी प्रोजेक्ट का लागत बढाने तथा उसे धन की कमी के कारण अपूर्ण रखने का कोई प्रकरण यदि प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रभारी तथा विश्वविद्यालय स्तर पर उस प्रोजेक्ट का कार्य देख रहे विभागाध्यक्ष/योजना प्रभारी उत्तरदायी माने जायेंगे।

2. समस्त निर्माणाधीन कार्य जो अधूरे हैं विशेषकर लखीमपुर कृषि महाविद्यालय निर्माण से सम्बन्धित है, से सम्बन्धित पत्र तथा श्री करण सिंह पटेल, मा0 सदस्य संचालक मण्डल को विश्वविद्यालय अभियन्ता उपलब्ध करा दें।
3. के0वी0के0 इटावा में स्टाफ की व्यवस्था तथा के0वी0के0 फिरोजाबाद के फार्मों की हकबन्दी तत्काल करायी जाये।
4. समस्त फार्म चाहें वह के0वी0के0/निदेशक प्रसार/बीज एवं प्रक्षेत्र के अधीन संचालित हों उनकी सम्पत्तियों का रजिस्टर तैयार किया जाय और समस्त सम्पत्तियों का मूल्यॉकन कराया जाय।

5. श्री वीर सेन यादव,, मा0 सदस्य प्रबन्ध मण्डल श्री अभिजीत सिंह सांगा, मा0 सदस्य प्रबन्ध मण्डल, निदेशक प्रसार एवं निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग की एक समिति गठित की जाती है जो माह में एक बार कुलपति के पूर्व अनुमोदन से फार्मों का निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी।
6. के0वी0के0 फिरोजाबाद में सोडिक लैण्ड के सुधार हेतु समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय और वहॉ पर हो रहे कब्जों को रोकने की कार्यवाही तत्काल की जाय।
7. मा0 सदस्य श्री वीर सेन यादव द्वारा पत्र दिनांक 22.9.2018 डा0 शंकर सिंह, सेवा निवृत्त अध्यक्ष/वरिष्ठ वैज्ञानिक के0वी0के0 मैनपुरी को दिनांक 5.7.2017 से 30.6.2018 तक सत्रान्त लाभ स्वीकृति करने का अनुरोध किया गया है। डा0 सिंह सेवा निवृत्त के समय विश्वविद्यालय में मुख्यालय पर कार्यरत न होकर के0वी0के0 मैनपुरी पर अध्यक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक के0वी0के0 मैनपुरी के पद पर तैनात थे। के0वी0के0 के वरिष्ठ वैज्ञानिक/अध्यक्ष गण को सत्रान्त लाभ देने के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्री करण सिंह पटेल मा0 सदस्य प्रबन्ध मण्डल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाय जिसमें श्री शिव प्रताप सिंह एवं श्री जगदीश सिंह मा0 सदस्य प्रबन्ध मण्डल एवं निदेशक प्रसार सदस्य के रूप में रहेगें। यह समिति प्रदेश में संचालित समस्त कृषि विश्वविद्यालयों में प्रचलित प्रकिया का अध्ययन करते हुए एक स्वः स्पष्ट संस्तुति यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी जिसे प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करते हुए यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

अन्त में बैठक मा0 अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों को सधन्यवाद सम्पन्न हो गयी।

(मनमोहन मिश्रा)
अर्थ नियन्त्रक एवं
सचिव प्रबन्ध मण्डल

अनुमोदित

(सुशील सोलोमन)
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल